भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2098

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

देश भर में 'अमृत' योजना की स्थिति

†2098. श्री मुरसोली एस.:

श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र और राज्यों के बीच निधि के बंटवारे की पद्धति सहित कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में वर्तमान में 'अमृत' योजना के अंतर्गत आने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 'अमृत' योजना के अन्तर्गत देश भर में आवंटित और उपयोग की गई निधि का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य स्तर पर 'अमृत' योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। यह मिशन जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क, तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों में बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है। इस मिशन में शहरी सुधार और क्षमता निर्माण के कई सुधार शामिल किए गए हैं।

अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में 100% और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 90% केंद्रीय हिस्सेदारी थी। अन्य राज्यों में, 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में परियोजना लागत का 50% और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में परियोजना लागत का 33% केंद्रीय हिस्सेदारी थी। प्रशासनिक और अन्य व्यय एवं सुधारों के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संपूर्ण मिशन अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 77,640 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदित किया जा चुका है, जिसमें 36,036 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 83,471 करोड़ रुपये की 6,004 परियोजनाओं को शुरू किया, जिनमें से लगभग 80,933 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं और 74,244 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के 36,036 करोड़ रुपये के हिस्से में से 34,901 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

अमृत योजना के तहत, केंद्रीय निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना-वार नहीं बल्कि राज्य-वार जारी की गई थी। राज्य सरकार कार्यों की प्रगति के अनुसार शहरों/अर्ध-सरकारी निकायों को निधि आवंटित करती है। अमृत योजना के तहत जारी की गई केंद्रीय निधि के राज्य-वार विवरण और अब तक प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र अनुलग्नक में दिए गए हैं।

मिशन के दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास एवं आवासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मिशन के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गठित एक सर्वोच्च समिति मिशन की आवधिक समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। साथ ही, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने और निगरानी के लिए एक समर्पित अमृत ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है।

*****

"देश भर में अमृत योजना की स्थिति" के संबंध में दिनाँक 12.02.2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2098 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अमृत के अंतर्गत जारी निधियों और प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों की राज्य-वार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जारी/स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.81	9.39
2	आंध्र प्रदेश	1049.89	942.75
3	अरुणाचल प्रदेश	116.69	99.32
4	असम	511.71	457.67
5	बिहार	1146.15	1146.15
6	चंडीगढ़	53.25	52.39
7	छत्तीसगढ	969.12	955.65
8	दादरा और नगर हवेली	10.59	10.59
	दमन और दीव	18.03	18.03
9	दिल्ली	673.74	552.36
10	गोवा	62.75	62.75
11	गुजरात	1966.96	1966.96
12	हरियाणा	746.39	736.97
13	हिमाचल प्रदेश	269.06	255.73
14	जम्मू और कश्मीर	477.74	358.39
15	लद्दाख	39.2	33.21
16	झारखंड	551.69	447.04
17	कर्नाटक	2258.85	2104.94
18	केरल	1153.08	1106.11
19	लक्षद्वीप	2.25	2.11
20	मध्य प्रदेश	2497.05	2497.05
21	महाराष्ट्र	3356.19	3191.28
22	मणिपुर	162.28	161.91
23	मेघालय	71.02	71.02
24	मिजोरम	125.37	119.72
25	नागालैंड	107.87	77.18
26	ओडिशा	785.23	785.23
27	पुदुचेरी	63.75	53.41
28	पंजाब	1190.77	1190.77

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जारी/स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र
29	राजस्थान	1511.23	1511.23
30	सिक्किम	34.03	31.06
31	तमिलनाडु	4626.24	4397.29
32	तेलंगाना	831.52	806.20
33	त्रिपुरा	132.47	132.47
34	उत्तर प्रदेश	4880.7	4421.75
35	उत्तराखंड	531.92	474.28
36	पश्चिम बंगाल	1905.39	1606.49
कुल		**34900.97**	**32846.86**